

2025/987

फर्द अहकाम
(नियम 15)

सि.०.फि
०६.१.२०२६

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
सुभाष बनाम उदाराम आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 631 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
15.12.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 22.12.2026 को पेश हो।	
17.12.2025	<p>वकील प्रतिवादीगण - डा.ए. किलन (पेशी) पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिखा गया वकुलार फर्दिन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 तथा 2 ने जरिये वकील श्री अकुल वरमा उपस्थित आकर एककाल डा.ए. किलन (पेशी) के खिलाफ कार्रवाई किया गया। पत्रावली वा.ले जाकर एच. डा.ए. वरमा 22.12.2025 को पेश हो।</p>	<p>अ.मि. सुभाष</p> <p>अ.मि. (पारदर्शी) गायत्री</p>
06.1.2026	<p>वकुलार फर्दिन उपस्थित एच. डा.ए. वरमा द्वारा पेशी में पत्रावली पेश की गई। पत्रावली को उपलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड करी व वकील सुभाष की सहमति के आधार पर वाद करी डिफ्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित सि.०.फि अलग से लिखा जाकर वा.ले कार्रवाई किया जाये। पत्रावली नम्बर के अंतर्गत ही जाकर आ.उ. त. 22/12/25 को कार्रवाई जा.प.हा.खिला हुकम हो।</p>	<p>अ.मि. वरमा</p> <p>उदाराम</p> <p>प.व.व.दी</p> <p>अ.मि.</p>

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

